प्रेस नोट

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 03.04.2026

♦कर अपवंचन व फर्जी ITC रैकेट के विरुद्ध सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मु0अ0सं0 29/2026 धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ♦

अवगत कराना है कि कर अपवंचन, फर्जी फर्मों के संचालन एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के दुरुपयोग के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के अंतर्गत जनपद सोनभद्र में श्रीमान पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा महोदय द्वारा गठित एसआईटी टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अनिल कुमार (जीएसटी SIT टीम नोडल) के दिशा-निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रणधीर मिश्रा के नेतृत्व में की गई।

थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 29/2026 धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता 2023* से संबंधित वांछित अभियुक्त **आसिफ अली पुत्र रुस्तम अली निवासी डाला बाजार मेन मार्केट पतरही थाना चोपन जनपद सोनभद्र, उम्र करीब 26 वर्ष** को दिनांक **02.04.2026** को समय करीब **16:30 बजे** वैष्णो देवी माता मंदिर डाला के सामने से गिरफ्तार किया गया।

जांच के दौरान पाया गया कि अभियुक्त द्वारा विभिन्न फर्मों के माध्यम से अलग-अलग वित्तीय वर्षों में लगभग **₹70,00,000/- (सत्तर लाख रुपये)** की बोगस ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) अपने दाखिल विवरण में दर्शाई गई, जबकि वास्तविक लेन-देन का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियुक्त द्वारा अपनी फर्म **M/S D.K. ASSOCIATES** के माध्यम से बिना वास्तविक खरीद-बिक्री के कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर फर्जी ITC पास ऑन की गई तथा सरकारी कर (GST) का भुगतान न कर सरकारी धन का गबन किया गया।

फर्म द्वारा किसी भी प्रकार के वैध टैक्स इनवॉइस, बिल्टी, ई-वे बिल आदि प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि संपूर्ण लेन-देन फर्जी था। SIT टीम द्वारा की गई गहन जांच, तकनीकी विश्लेषण एवं डेटा मॉनिटरिंग के आधार पर अभियुक्त को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी:

- 02 अदद मोबाइल फोन
- 01 फाइल (फर्जी दस्तावेज सहित)
- 01 मारुति कार XL6
- ₹26,450/- नगद

अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अग्रिम विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. निरीक्षक राजेश प्रसाद यादव, प्रभारी SIT टीम/अपराध शाखा, जनपद सोनभद्र।
2. निरीक्षक/विवेचक राजेश सरोज, अपराध शाखा, जनपद सोनभद्र ।
3. का0 किशन लाल, अपराध शाखा, जनपद सोनभद्र ।
4. का0 संदीप कुमार, अपराध शाखा, जनपद सोनभद्र।